न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 901/2022

अनवान : —

1. आईदान पुत्र बेलीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र शिशपाल जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—89 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 7/2/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2073—2076 के खाता सं0 73/69 के कुल खसरे 53 की 10.9800 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2073—2076 के खाता स0 377/351 के खसरा न0 682 की कुल 4.0470 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि मृतक शीषपाल पुत्र बीरू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति—रिवाज से शासित है। उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी की दादालाई कृषि भूमि है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने पारिवारिक समझौता किया हुआ है कि रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता सं0 73/69 की 10.9800 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि में से 0.4610 हैक्ट भूमि पर वादी काबिज है तथा शेष पर प्रतिवादी स0 1 काबिज है तथा रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 377/351 के खसरा न0 682 की कुल 4.0470 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी स0 1 काबिज है। वादी इसी अनुसार अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वह उक्त वाद भूमि में वादी के हक हिस्सा को स्वीकार कर लेवे तो प्रतिवादी कुछ दिन तो आजकल आजकल करता रहा आखिरकार इन्कार हो गया। इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:33:04 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर के वाद को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 2 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई एतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी रोही मौजा बडबिराना सम्वत् 2073–2076 ईएक्सपी–1, वादी एवं प्रतिवादी का आपसी पारिवारिक समझौता ईएक्सपी–2, वारिस प्रमाण पत्र ईएक्सपी–3, पर्चाखतौनी ईएक्सपी–4, मृत्यु प्रमाण पत्र शिशपाल ईएक्सपी–5 आदि पेश किये। मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी आपसी समझौता रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता सं0 73/79 की 10.9800 हैक्ट बारानी प्रथम 8.9420 हैक्ट, गै0मु0 रास्ता 0.2040 हैक्ट, नहरी 1.8340 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा 1.2200 हैक्ट भूमि प्रतिवादी ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि में 0.4610 हैक्ट भूमि पर वादी आईदान काबिज है वादी आईदान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी थी शेष 0.7590 हैक्ट भूमि ही प्रतिवादी स0 1 ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होनी थी। परन्तु राजस्व रिकार्ड में 1.2200 हैक्ट भूमि अकेले प्रतवादी स0 1 के नाम दर्ज हो गई। उक्त वाद भूमि में से से प्रतिवादी स0 1 ने 0.4610 हैक्ट भूमि वादी आईदान के पक्ष में त्याग कर दी है व इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी स0 1 राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

प्रकरण में प्रतिवादी का जवाब ईकबाल दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी को घरेलु जरूरतों के हिसाब से केसीसी आदि की आवश्यकता रहती है जिसके लिए अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाने चाहते है। वादी के वाद को प्रतिवादी 1 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता सं0 73/69 के कुल खसरे 53 की 10.9800 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर की जमाबंदी [illegible] के खाता स0 377/351 के खसरा न0 682 की कुल 4.0470 हैक्ट भूमि में से 1/9 [illegible] मृतक शीषपाल पुत्र बीरू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद [illegible] से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पचायत बडबिराना [illegible]रिस प्रमाण पत्र के आधार पर व पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:33:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश व मृतक शीशपाल के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जवाब ईकबाल दावा पेश कर अर्ज किया है यदि वाद वादी मुताबिक इस्तदुओं डिक्री किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का एतराज नही होने व वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता सं0 73/69 के कुल खसरे 53 की 10.9800 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि में से 0.4610 हैक्ट भूमि का वादी आईदान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 0.7590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 ओमप्रकाश के नाम यथावत रखी जाती है तथा रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 377/351 के खसरा न0 682 की कुल 4.0470 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि में मृतक शीषपाल पुत्र बीरू का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 1 ओमप्रकाश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखित दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7/2/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:33:04 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 901/2022

अनवान : –

1. आईदान पुत्र बेलीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र शिशपाल जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व पेरोकार राज उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता सं0 73/69 के कुल खसरे 53 की 10.9800 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि में से 0.4610 हैक्ट भूमि का वादी आईदान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 0.7590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 ओमप्रकाश के नाम यथावत रखी जाती है तथा रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 377/351 के खसरा न0 682 की कुल 4.0470 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि मृतक शीषपाल पुत्र बीरू का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 1 ओमप्रकाश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 7/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:33:04 IST
Reason: SelfAttested